(2)

टी०ए०मिस० केस सं0 187/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
02/01/2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक डोगर सामाद, पिता– स्व० चोरन सामाद निवासी ग्राम– आयता, थाना– मुफ्फासिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– आयता, थाना नं०– 115 के अन्दर खाता नं०– 68, प्लॉट नं०– 503, रकवा– 0.11½ एकड़ भूमि क्रेता सिकन्दर धनवा, पिता– स्व० अर्जुन धनवा ग्राम– छोटा मौदी, थाना– मुफ्फासिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 744, दिनांक– 24.10.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता श्री सिकन्दर धनवा, पिता– स्व० अर्जुण धनवा, ग्राम– छोटा मौदी, थाना– मुफ्फासिल के पास 30,000.00/–(तीस हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना मुफ्फासिल के निवासी है। उक्त दोनों पिछड़ी जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक डोगर सामाद, पिता– स्व० चोरन सामाद, निवासी ग्राम– आयता, थाना– मुफ्फासिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने भूमि क्रेता सिकन्दर धनवा, पिता– स्व० अर्जुण धनवा, ग्राम– छोटा मौदी, थाना– मुफ्फासिल के पास जमीन को 30,000.00/–(तीस हजार) रूपये में मौजा– आयता, थाना नं०– 115 के अन्दर खाता नं०– 68, प्लॉट नं०– 503, रकवा– 0.11½ एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner